न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23/2021

1 सुल्तान पुत्र भगवानाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कजोड़मल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी डा. कुलदीप मीणा आर.ए.एस प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018 उनवानी कजोड़मल बनाम सुल्तान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 02.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 22.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रिकार्ड में कटानी रास्ता अंकित करवाने हेतु निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे व काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 2.11 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है, जिसमें आवागमन के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.91 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में से प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जावें एवं रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड नक्शे में किया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 12.11.2020 को उभयपक्ष को आपत्ति मौका रिपोर्ट पर सुना गया एवं पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति मौका रिपोर्ट नियत की गई। दिनांक 11.02.2021 को आपत्ति पर निर्णय कर पुन मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई। इसके उपरान्त दिनांक 02.03.2021 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वंय के आदेश दिनांक 11.02.2021 की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रदान नही किया गया है एवं विधिक प्रकिया की पालना भी नही की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रेषित पूर्व रिपोर्ट कमांक 577/भू.अ./2020 दिनांक 19.02.2020 के संलग्न समेकित फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांकित 05.02.2020 द्वारा भू.अ.नि. रहनावा एवं पटवारी हल्का सिंगोदड़ा में अंकित नजरी नक्शा में भी खसरा नम्बर 500 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे 3 कुल 300 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु दिये जाने का प्रस्ताव भिजवाया गया है, जिसके बदले में खसरा नम्बर 498 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे सी से डी भूमि रास्ते के बदले में दिये जाने का प्रस्ताव भिजवाया गया है। चूंकि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में खसरा नम्बर 500 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित रास्ते को सबसे कम दूरी का निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 12.11.2020 को उभयपक्ष को आपत्ति मौका रिपोर्ट पर सुना गया एवं पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति मौका रिपोर्ट नियत की गई। दिनांक 11.02.2021 को आपत्ति पर निर्णय कर पुन मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई। इसके उपरान्त दिनांक 02.03.2021 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया हैं स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वंय के आदेश दिनांक 11.02.2021 की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है एवं विधिक प्रकिया की पालना भी नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर